□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

□□□□□ि□□ प्रश्न □ख□□:171

21 □□, 2019 □□ □□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

□□□□□ □□ □□□□□त्त□□□

171. □□.□□□□□ प्र□□□ रू□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □त्री□ यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या भारत म नवजात और शिशु मृत्यु दर दुनिया म सबसे अधिक है;

(□) □ि□ □□, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण ह;

(ग) क्या ऑक्सीजन को कमी, □□□□□ □□क्□□, □स□च□ □स□□□□, भ्रष्ट प्रबंधन कुछ ऐसे प्रमुख कारण ह जो शिशुओं को मृत्यु का कारण बनते ह; □□

(□) □ि□ □□, तो सरकार ने इन मुद्दों के समाधन के लिए क्या उपाय किए ह और इस मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या वित्तीय सहायता दी जा रही है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□) □□ (□): □□ □□ों, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) भारत के महापंजीयक को रिपोट के अनुसार □□□□ □ □□ 2016 □ □□□□□ □त□□□ (□□□□□□) प्र□□ 1000 □□□□□ □न□ों पर 24 है और वष 2017 म □□□□ □ □□□□□त□□□ (□□□□□□) प्र□□ 1000 □□□□□ □न□ों □□ 33 □□□□ज□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ ब□□□□ □□□ग□□ I □□ II □□ ि□□□ □□□ □□

(□) □□ (□): □□ □□ों, एसआरएस रिपोर्टों के अनुसार भारत □ □□□□□त□□□प्र□□ □□□□ □□□-पूव जन्म □□□ □□□□न□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ (35.9 प्र□□□□), □□□□□□□□ (16.9 प्र□□□□), □न□ □□□□□□□□□ □□□ □न□ □□□□ (9.9 प्र□□□□), □न□ □□-□□□□□□ □□□ (7.9 प्र□□□□), □□□ि□□□ □□□ (6.7 प्र□□□□), □स□ष□ □□ अज्ञात कारण (4.6 प्रतिशत), □न□□□□ □□□□□□□□□(4.6 प्र□□□□), □□त्र □क□ि□□□ □प□□□ □□ □□त्र □क्र□□

(4.2 प्र□□□□) □□□□(2.1 प्र□□□□), अज्ञात कारण से बुखार (1.7 प्रतिशत), □न□ □□□ □□ □□□□ (5.4 प्र□□□□) □□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□के लिए राष्ट्री□ स□□स्थ्य □□□□ (□□□□□□) □□□□□ □□ज□ों/□□ □□ज□ क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न कायक्रमों और योजनाओं का ब्यौ□□ □□म□□□ □:

□□□□□ □□□□□ □□□-योजना (आईएनएपी) को शुरूआत वष 2014 □ □ो □□ □□ □□□□□ □द्देश□ □□ 2030 □□ ''□□□ □□ □□□□□ □त□□□'' □□□ ''□□□ □□ □□ □□□□□□'' के लक्ष्यों □□ □□□□ □□□□□□□□□न□□ प्र□□□ □□□□ □□

□□□□ □□क्ष□ □□□□□ (□□□□□□) □□□□□ □□□ प्र□त□□□□ □□□□ □□□ि□□ □स□□गत प्रसवों को बढ़ावा देना,

□□□□ □□□□□□क्ष□ □□□क्र□ (□□□□□□□) □□□□□□ □□□ □□□, □म□□□□□□ □□□त□□पूण मातृत्व परिचया □□□श्चि□ करने के लिए सभी सरकारी सुविधा केन्द्रों □□□□क्ष□ □□□ □□ □□□ प्र□□□ □□न□ओं □□ □□श□□ नवजात परिचया को सुनिश्चित करना, □□□□ □□□□□ ि□□□□ इकाईयों (एसएनसीयू) को स□□□□□, □□□□□ ि□स□□□□□□ □□□□□□□(□□□□□□□)□और बीमार एवं छोटे शिशुओं को परिचया □□□□□ □□□रू □□□ □□□ (□□□□□) □□□□□□, □□ □□□ि□□ □□□□□ ि□□□□□ (□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□म□□□ओं □ □□□□ □□ लिए आशाकर्मियों द्वारा प्रदत्त □□ □□□ि□□ ि□□□□ ि□□□□□/□रू□□ स□□□□□ □□ प्र□□ □□ □□□ □□ □□न□ रू□ □स□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ स□□ कायक्रम (एमएए) उपयुक्त □□□□□ □□□ किशोर स्त□□□□ (□□□□□□□□□) ि□□□ि□□□,□□□ि□□□ को रोकथाम के लिए सघन डायरिया नियंत्रण □□□□□□ □□□ □□□ □□□ों □□□रूद्ध बच्चों □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ प्रतिरक्षण कायक्रम (यूआईपी)। उन बच्चों के लिए जिनका या तो टीकाकरण किया जा चुका है अथवा आंशिक रूप से टीकाकरण किया गया है। पूण रूप से प्रतिरक्षण हेतु ''□□□□ □न्द्र□□□'' □□ □□□ मिशन इन्द्र□□□ □□ □□□□न□□□ ि□□□ □□□ □□

□□□□□□□□□,□□□□□ □ष्ट्री□ □□□ स□□स्थ्य कायक्रम (आरबीएसके) का भी कायान्व□□ □□ □□□ □□□□□□□ □न□□□ □□□□□ □□□□□□स□□स्थ्य □□□□ □□□ □□ □त□□□□□□□ □ो □□□त□□ म सुधार के लिए जन्म □□□□□ों, □□□ों, □□□□□ों □□ □□□□□□□त□□ □□□□ □□प्र□□म□□ □स□क्षे□ □□□□प्र□□□ □ो □□□□ □□

गभावस्था, प्रसव और अनिवाय नवजात परिचया के दौरान माता को आधारभूत व व्यापक प्रसूति परिचयाम स□□स्थ्य परिचया प्रदाताओं का कौशल निमाण करने व उन्नत के लिए और बीमार एवं छोटे नवजातों को परिचयाके लिए भी स्वास्थ्य परिचयाप्रदाताओं के क्षमता निमाण को सहयोग प्रदान किया जाता है।

□□□ □□ 2017-18 □□ □□ 2018-19 □□□□□ प्र□□□ □□□□□□ स□□स्थ्य (□□□□□□) □□क□□□□ □□□□□ □□त□□□ □□□□□□ □□ ब□□□□ □□□□ग□□ III □□ ि□□□ □□□ □□

अनुलग्नक I

[illegible] 2016

राज्य	[illegible] (2016)
भारत	**24**
आंध्र प्रदेश	23
असम	23
बिहार	27
छत्तीसगढ़	26
दिल्ली	12
गुजरात	21
हरियाणा	22
हिमाचल प्रदेश	16
जम्मू और कश्मीर	18
झारखंड	21
कर्नाटक	18
केरल	6
मध्य प्रदेश	32
महाराष्ट्र	13
ओडिशा	32
पंजाब	13
राजस्थान	28
तमिलनाडु	12
तेलंगाना	21
उत्तर प्रदेश	30
उत्तराखंड	30
पश्चिम बंगाल	17

[illegible] II

[illegible] 2017

[illegible]	[illegible] (2017)
[illegible]	**33**
[illegible]	14
आंध्र प्रदेश	32
अरुणाचल प्रदेश	42
[illegible]	44
[illegible]	35
[illegible]	14
[illegible]	38
[illegible]	13
[illegible]	17
दिल्ली	16
[illegible]	9
[illegible]	30
[illegible]	30
[illegible]	22
जम्मू और कश्मीर	23
[illegible]	29
[illegible]	25
[illegible]	10
[illegible]	20
[illegible]	47
महाराष्ट्र	19
[illegible]	12
[illegible]	39
[illegible]	15
[illegible]	7
[illegible]	41
[illegible]	11
[illegible]	21
[illegible]	38
[illegible]	12

[illegible]	16
[illegible]	29
त्रि[illegible]	29
उत्तर प्रदेश	41
[illegible]	32
[illegible]	24

[illegible]- III

वित्त [illegible] 2017-18 [illegible] 2018-19 [illegible] क्षेत्रों [illegible]			
			रु. [illegible]
क्र.[illegible]	[illegible]ज्य/[illegible] [illegible]ज्य क्षेत्रों [illegible]	2017-18	2018-19
1	[illegible]	90947.97	99580.20
2	[illegible]	23076.46	26163.25
3	[illegible] प्र[illegible]	6439.62	6780.28
4	जम्मू और कश्मीर	10973.92	13492.99
5	[illegible]	27621.51	30218.22
6	[illegible] प्र[illegible]	69200.46	78446.97
7	[illegible]	31748.92	34883.61
8	[illegible]	59669.96	68885.14
9	उत्तर प्रदेश	118505.46	132556.22
10	[illegible]	8085.23	8309.61
11	[illegible] प्र[illegible]	3144.00	4273.65
12	[illegible]	28580.44	34010.69
13	[illegible]	3723.44	3787.44
14	[illegible]	4241.26	5066.10
15	[illegible]	2772.80	2526.78
16	[illegible]	2540.23	3090.01
17	[illegible]	814.05	1143.83
18	त्रि[illegible]	3613.41	4270.44
19	[illegible] प्र[illegible]	15537.53	17388.46
20	[illegible]	442.12	1035.83
21	[illegible]	35067.13	42572.50
22	[illegible]	8559.33	10386.70
23	[illegible]	27456.59	30559.69
24	[illegible]	9741.14	12223.60
25	[illegible]	39460.38	44256.56
26	[illegible]	8295.66	10403.20
27	[illegible]	22843.44	25854.08
28	[illegible]	13690.45	19037.28
29	[illegible]	37976.89	41512.43

30	[illegible]	396.67	521.26
31	[illegible]	210.77	211.14
32	[illegible]	427.78	497.69
33	[illegible]	206.52	338.80
34	दिल्ली	1624.96	3565.35
35	[illegible]	129.67	117.64
36	[illegible]	563.08	809.43
	[illegible]	**718329.26**	**818777.07**